मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 (माघ 24, शक संवत् 1945)
विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय घोषणा.
प्रश्नकाल में नवनिर्वाचित सदस्यों एवं महिला सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तरों को प्राथमिकता दी जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि- "आज प्रश्नकाल हेतु प्रथम बार निर्वाचित माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्नों को ही शलाका के माध्यम से चयनित किया गया है." आसन्दी द्वारा महिलाओं को अपनी और सदन की ओर से बधाई दी गई.

2. प्रश्नोत्तर.
प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से कुल 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2,,3,4,5,6,7,8 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 153 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 148 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था.
नियम 267 क- के अधीन विषय संबंधी सूचनाएँ कार्यसूची में अंकित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ली जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ आज की कार्यसूची में अंकित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ली जाएँगी.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से यह अनुरोध किया गया कि यह नियम 267 क- के अधीन विषय शून्यकाल की सूचनाओं की जो व्यवस्था है उसको पूर्वानुसार प्रश्नकाल के बाद ही रहने दें, क्योंकि यदि यह कार्य आखिरी में आता है तब अनेक सदस्य सदन में उपस्थित नहीं रह पाते हैं और न ही इसके लिए सरकार की तरफ से कोई जवाबदेह उपस्थित रह पाता है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- "अभी नये माननीय सदस्य ज्यादा थे इसलिए मेरी कोशिश यह थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिल जाए. अगर आप सबकी इच्छा रहेगी तो अगली बार से जैसा चलता है, वैसा चलता रहेगा. आप (नेता प्रतिपक्ष) और संसदीय कार्य मंत्री जी परस्पर विचार कर लें."

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख.

(1) श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेश के अनेक बेरोजगारों की परीक्षाओं का रिजल्ट न आ पाने से बेरोजगारों को धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है इस पर सरकार द्वारा वकव्य दिए जाने संबंधी मांग का उल्लेख किया गया.

(2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य द्वारा (पर्चा दिखाते हुए) विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों का आवंटन न होने और सरकार से इसकी जाँच किए जाने संबंधी मांग का उल्लेख किया गया.

अध्यक्ष महोदय, द्वारा सदन को सूचित किया गया कि- "अभी पत्रों को पटल पर रखा जाएगा एवं ध्यानाकर्षण लिए जाएँगे. अंत में शून्यकाल लिया जाएगा.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) द्वारा दैनिक कार्यसूची में अंकित बिन्दु 1 से 40 तक की अधिसूचनाएँ पटल पर रखी गईं.

(2) श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री द्वारा दैनिक कार्यसूची में अंकित बिन्दु 1 से 12 तक की अधिसूचनाएँ पटल पर रखी गईं.

(3) श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2020-21 पटल पर रखी गई.

(4) कुँवर विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा गया.

(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1846-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 17 अगस्त, 2023 पटल पर रखा गई.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा-

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(ii)अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का 55वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

(iii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (01 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक), तथा

(ख) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23, पटल पर रखे गये.

(7) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री पर्यटन द्वारा-

कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 पटल पर रखा गया.

(8) श्री दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखा गया.

(9) श्री लखन पटैल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी द्वारा मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के वार्षिक लेखे वर्ष 2021-2022 एवं 2022-23 पटल पर रखा गया.

(10) श्री दिलीप सिंह अहिरवार, राज्यमंत्री वन द्वारा-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) की 61 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23,

(ख) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला सिंगरौली, दमोह एवं नीमच के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23, तथा

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 पटल पर रखे गए.

6.ध्यानाकर्षण.

(कार्य सूची में अंकित प्रथम ध्यानाकर्षण के सूचनाकर्ता सदस्य की तत्समय अनुपस्थितिवश पहले द्वितीय ध्यानाकर्षण लिया गया तदनंतर प्रथम ध्यानाकर्षण भी सदस्य के उपस्थित होने पर लिया गया.)

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा रीवा जिले सहित पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय न बढ़ाये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

7. बहिर्गमन.

श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य द्वारा प्रदेश के पंचायती राज के निर्वाचित पंचों के साथ हो रहे कथित अन्याय के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

8.ध्यानाकर्षण.(क्रमशः)

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य द्वारा सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में बाणसागर नहर सिंचाई योजना का लाभ कृषकों को न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया.

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

9. आवेदनों (याचिकाओं) की प्रस्तुति.

(1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य की दतिया जिले के ग्राम तगा व नरेटा के बीच अंगूरी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(2) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य की रतलाम जिले के ग्राम मलवासा, बाजनखेड़ा बांगरोड एवं जडवासा कला के मध्य विद्युत ग्रिड लगवाये जाने,

(3) श्री केशव देसाई, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम रसनौल में मैराम बाबाजी मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने,

(4) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर जिले के वार्ड क्रं-28 की 60 फीट रोड पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराये जाने,

(5) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य की अलीराजपुर जिले के ग्राम दुदलवार में हथनी नदी पर पुलिया सह स्टाप डेम का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की भिण्ड जिले के अटेर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडियाखेड़ा के क्षतिग्रस्त गोदाम भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(7) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की दतिया जिले के इन्दरगढ़ नगर में बायपास रोड का निर्माण कराये जाने,

(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के वि.ख. विजयपुर अंतर्गत संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कामर्स संकाय का प्रारंभ कराये जाने,

(9) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले के विजयराघवगढ़ ग्राम बिचपुरा से जाजागढ़ तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(10) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले की ग्राम पंचायत ईमलीटोला ईश्वरपुर से रूसा मुख्य मार्ग तक एवं अन्य ग्रामों में ग्रेवल सड़क का निर्माण कराये जाने,

(11) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य की मैहर जिले के ग्राम तिन्दुहटा वार्ड नं.-04 से पगडंडी के रूप में प्रचलित ग्राम जुरा तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(12) श्री नितेन्द्र बिजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर अंतर्गत ग्राम खर्रोई से वैदऊ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(13) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य की बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत नाद गांव अंतर्गत डोकरिया जलाशय का निर्माण कराये जाने, बालाघाट जिले के ग्राम हट्टा में न

(14) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य की वीन आई.टी.आई. प्रारंभ कराये जाने,

(15) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के लोढ़ी माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रोपवे लगाये जाने,

(16) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य की आगर-मालवा जिले के ग्राम मगरीया से लोधाखेड़ी मार्ग के मध्य नदी पर पुलिया एवं रपटा निर्माण कराये जाने,

(17) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य की ग्वालियर जिले के वार्ड क्र. 61 बेला की बावड़ी में निवास कर रहे लोहापीटा समुदाय को शासन की योजना का लाभ दिलाये जाने,

(18) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की धार जिले के मनावर अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिये नर्मदा नदी से नहर की व्यवस्था कराये जाने,

(19) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के सिद्ध हनुमान मंदिर की 10 एकड़ भूमि बीच शहर में स्थित है जिसका विक्रय प्रतिबंधित कराये जाने,

(20) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य की पन्ना जिले के गोहत अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़वारी में नदी का घाट निर्माण कराये जाने,

(21) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की रतलाम जिले के ग्राम मचून में डेम निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,

(22) श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य की खरगोन जिले के ग्राम श्रीखण्डी ब्लाक सेगांव एवं गढ़ी ब्लाक भगवानपुरा में हाई स्कूल खोलने,

(23) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की अनूपपुर जिले के ग्राम कपरिया गोढाटोला में रपटा निर्माण कराये जाने,

(24) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत चुनार डेम से 31 ग्रामों में समूह पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान करने,

(25) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के रतनपुर और चिरई डोंगरी के मध्य पुलिया निर्माण एवं झोला से चिरई डोंगरी के मध्य सुदूर सड़क का निर्माण कराये जाने,

(26) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य की बालाघाट जिले के लालबर्रा स्थित कौरवगढ़ पहाड़ी बोब्लाई देवी प्राचीन स्थल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने,

(27) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की रतलाम जिले के ग्राम घुघड व भेरूगढ़ रेल्वे स्टेशन के मध्य माही नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(28) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले की ग्राम पंचायत खैरी से सिमरिया तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(29) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम पचेर में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,

(30) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य की बड़वानी जिले के ग्राम सागबारा से मतमाल फल्या तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(31) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम मनकहरी के शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(32) सुश्री रामश्री राजपूत, (बहिन रामसिया भारती) सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम माखनखेड़ा की शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(33) श्री बाला बच्चन, सदस्य की बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत नांदेड़ काबड़पुरा से लफनगांव पटेलपुरा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(34) श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य की बड़वानी जिले के ग्राम खुरमाबाद मेन रोड से महानीम तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(35) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत पुरा से पुरा ढाना तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(36) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य की कटनी जिले के भखरवारा से पिपरिया (पोंडी) तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(37) श्री विपिन जैन, सदस्य की मंदसौर जिले के गुराड़िया लालमुंहा से पटेला मार्ग सोमली नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(38) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत), सदस्य की भोपाल शहर के कटारा हिल्स हाऊसिंग बोर्ड कालोनी सीनियर आवास क्रं-324 से 331 तक के सामने बने सीवेज टैंक मरम्मत एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने,

(39) इंजीनियर गोपाल सिंह, सदस्य की सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत ग्राम लोरासकलां से चक्की जोड़ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(40) श्री अमरसिंह यादव, सदस्य की राजगढ़ जिले के नगर खुजनेर में शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने,

(41) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के मानपुरा पंप इंजन रोड पर स्थित टिमरन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(42) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य की जबलपुर शहर के माढ़ोताल का सौन्दर्यीकरण व उन्नयन कर वॉटर स्पोर्ट गतिविधियां प्रारंभ कराये जाने, संबंधी आवेदनों (याचिकाओं) को सदन में प्रस्तुत हुआ माना गया.

10. शासकीय संकल्प.

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 संबंधी शासकीय संकल्प वापस लिया जाना.

कुँवर विजय शाह, पर्यावरण मंत्री, द्वारा सदन को सूचित किया गया कि "जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974" में संशोधन करने के लिए संबंध में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम संशोधन विधेयक संसद में लाने के पक्ष में, राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने के लिए राज्य शासन से अनुरोध किया गया था, किन्तु चूँकि दिनाँक 8 फरवरी 2024 को यह संसद में पारित हो चुका है इसलिए इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ.

आसंदी द्वारा अनुमति से संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ.

11.अध्यक्षीय घोषणा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि- "आज की कार्यसूची के पद 6, "शासकीय विधि विषयक कार्य" के अन्तर्गत उप पद (1) एवं (2) में उल्लिखित विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने, स्थायी आदेश की कंडिका 24 एवं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उसे विचार में लिए जाने की अनुमति प्रदान की है."

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री द्वारा प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया.

(2) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री द्वारा विधेयक में संशोधन के उद्देश्य की जानकारी दी. विधेयक पर श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री गौतम टेटवाल ने प्रस्ताव किया कि प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ

(5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) कुँवर अभिजीत शाह

श्री जगदीश देवड़ा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ

13. बहिर्गमन.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में काँग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 पर उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री इन्दर सिंह परमार ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव से स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ

14. स्वागत उल्लेख.

इन्दौर प्रेस क्लब के पत्रकारगण का स्वागत उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इन्दौर प्रेस क्लब के 35 पत्रकारों का विधान सभा भ्रमण एवं दीर्घा में उपस्थिति के लिए सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

15.वर्ष 2013-2014 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि-

"दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 02 एवं 21 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को अठारह करोड़, अठारह लाख, चालीस हजार रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-

(1) श्री बाला बच्चन
(2) श्री रामनिवास रावत

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(अपराह्न 1.29 से 3.07 बजे तक अंतराल.)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

17. वर्ष 2016-2017 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया कि-

"दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 02 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को तेईस करोड़, सतहत्तर लाख, एक सौ अठासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

आधिक्य मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

19. वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा.

वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह
(3) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए

(4) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर
(5) श्री गौरव सिंह पारधी
(6) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(7) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(8) श्री कमलेश्वर डोडियार
(9) डॉ.योगेश पण्डाग्रे

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

20.अध्यक्षीय घोषणा

सदन की परम्परा अनुसार लेखानुदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक बिना चर्चा के पारित किया जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह सूचित किया गया कि-

"यह परम्परा रही है कि लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण बजट के आने पर विभागवार मांगों पर विस्तृत चर्चा का अवसर सदस्यों को मिलता ही है."

21. वर्ष 2024-25 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया कि -

"दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के एक भाग अर्थात् प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल एक लाख उन्नीस हजार चार सौ तिरेपन करोड़, चार लाख, सतहत्तर हजार रुपये की धनराशि जो पृथकत: वितरित लेखानुदान की मांगों के स्तम्भ 6 में दी गई राशियां विनियोगों की अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित है, लेखानुदान के रूप में दी जाएं."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

22. वर्ष 2024-25 के लेखानुदान की मांगों पर संशोधन.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 155(2) के तहत वर्ष 2024-25 के लेखानुदान की मांगों में संशोधन की एक सूचना प्राप्त हुई है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि- अनुसूची में इस प्रकार संशोधन किया जाय, अर्थात्

"संपूर्ण अनुदान कम करने के लिए अनुदान संख्या 002 विमानन, 011 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, 032 जनसंपर्क, 041 प्रवासी भारतीय, 045 लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, 046 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 057 आनंद विभाग को कम करके उनके स्थान पर गेहूँ खरीदी के लिए 2700/- रुपये प्रति क्विंटल खरीदी करने के लिए बजट में प्रावधान रखा जाए एवं लाड़ली बहनाओं को 3000/- रुपये प्रतिमाह एवं हरदा विस्फोट हादसे में प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए राशि का प्रावधान किया जाए.''

(संशोधन का) प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से अनुरोध किया गया कि श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा लेखानुदान पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जबकि लेखानुदान पर कटौती प्रस्ताव नहीं आता है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह कटौती प्रस्ताव नहीं हैं. विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 155 (2) के अंतर्गत लेखानुदान में राशि कम करने के लिए संशोधन दिए जा सकते हैं. उसी के तहत अध्यक्षीय अनुमति से मैंने यह संशोधन दिया है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- "संसदीय कार्य मंत्री द्वारा माननीय सदस्य से उक्त संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध किया जा सकता है, बाकी वह संशोधन नियम के अधीन होने के कारण उनको स्वीकृति दी गई है."

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा लेखानुदान में संशोधन संबंधी उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ किया.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य ने प्वाईंट आफ ऑर्डर के माध्यम से यह कथन किया कि नियम 155 (2) में किसी अनुदान को कम करने का लिखा है किन्तु माननीय सदस्य अपने भाषण में बढ़ाने की बात कर रहे हैं. साथ ही, नियम 155 (3) का आशय यह है कि ऐसे लेखानुदान प्रस्ताव पर या उसमें संशोधन पर केवल सामान्य प्रकार की चर्चा की अनुमति होगी, अनुदान संबंधी अधिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन वह भी आप कर रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत द्वारा संशोधन पर चर्चा के साथ ही अन्य प्रावधानों एवं मांगों के संबंध में सुझाव के साथ भाषण देने पर श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी प्वाईंट आफ ऑर्डर उठाया गया कि, "नियम 155 (3) के अनुसार संशोधन के अतिरिक्त अधिक भाषण नहीं हो सकता है" और यह भी निवेदन किया कि माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस ले लें.

श्री रामनिवास रावत को आसंदी द्वारा आग्रहपूर्वक समझाईश देते हुए यह व्यवस्था दी गई कि- "आप संशोधन को पढ़ने के बाद यदि संक्षेप में कुछ कहना चाहते हों तो कह सकते हैं, बाकी इसमें लंबे भाषण नहीं दे सकते हैं..... माननीय सदस्य को संशोधन तक ही सीमित रहना चाहिए क्योंकि मद संख्या के साथ काफी जानकारी संशोधन के अंतर्गत ही पढ़ दी है. अब उसमें आगे कुछ कहने को कायदे में है ही नहीं." तथापि श्री रामनिवास रावत द्वारा लेखानुदान की मांगों के संबंध में विस्तृत रूप से एवं अनेक विभागों में बजट प्रावधान तथा अनुदान की राशि को बढ़ाने के संबंध में सुझाव देने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः उन्हें बताया गया कि किसी प्रावधान को बढ़ाने की बात इस संशोधन प्रस्ताव में नहीं हो सकती है, केवल घटाने की बात हो सकती है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा अपना भाषण पूर्ण किया गया. अंत में श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्री रामनिवास रावत, सदस्य से अनुरोध किया गया कि वे लेखानुदान में दिए गए

संशोधन को वापस ले लें और लेखानुदान को सर्वानुमति से पारित कराएँ.(श्री रामनिवास रावत द्वारा संशोधन वापस करने हेतु संसदीय कार्य मंत्री के स्थान पर वित्त मंत्री को अनुरोध की परंपरा है, यह कहने पर) मैं इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हूँ. हम सब की संयुक्त जवाबदारी है इसलिए साधारणतः संसदीय कार्य मंत्री ही अनुरोध करता है. संसद की प्रक्रिया के अंदर भी संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका होती है कि वह यह निवेदन करता है कि सदस्य संशोधन वापस ले लें. श्री रामनिवास रावत द्वारा इस पर यह कथन किया गया कि- वैसे यदि सदन में मंत्री महोदय की उपस्थिति नहीं है तब संसदीय कार्य मंत्री अनुरोध करता है. फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूँ तथा संशोधन वापिस लेता हूँ. श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा भी उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रामनिवास रावत, सदस्य से लेखानुदान में संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया गया.

आसंदी द्वारा संशोधन को वापस लेने की अनुमति देने के संबंध में सदन का मत लिया गया.

(ध्वनि मत से) सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई.

संशोधन वापस हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा लेखानुदान की मांगों संबंधी प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

23. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सर्वानुमति से विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

24.नियम 267-क के अधीन विषय

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी गईं:-

(1) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र सुसनेर,जिला आगर मालवा अंतर्गत कंडलिया बांध परियोजना में डूब क्षेत्र के मुआवजा वितरण में भारी अनियमितताएं होना,

(2) श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य की सौंसर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पठरा नाई में नहर का निर्माण किया जाना,

(3) श्री दिनेश जैन "बोस" , सदस्य की महिदपुर विधान सभा में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बिल के नोटिस दिया जाना,

(4) एड.श्रीमती निर्मला सप्रे, सदस्य की बीना विधान सभा क्षेत्र के खिमलासा टप्पा में राजस्व विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति की जाना,

(5) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य की विकासखण्ड वारासिवनी जिला बालाघाट के अंतर्गत ग्राम नांदगांव में डोकरिया जलाशय का निर्माण किया जाना,

(6) श्री विपिन जैन , सदस्य की मंदसौर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया जाना,

(7) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के तहत मध्यप्रदेश आदिवासी मंत्रणा परिषद की बैठकों के निर्णयों का अक्षरश: पालन नहीं किया जाना,

(8) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य की बड़वानी में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान किया जाना,

(9) डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य की प्रदेश में नर्मदा घाटी से प्राप्त अवशेषों को एकत्रित कर नर्मदा संग्रहालय बनाया जाना,

25. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

26.नियम 267-क के अधीन विषय (क्रमशः)

(10) श्री सुरेश राजे, सदस्य की हरसी बांध की मुख्य नहर और माइनर नहरों की मरम्मत की जाना

(11) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की विदिशा जिले की लटेरी में आदिवासियों की अधिग्रहित भूमि का मुआवज़ा न दिया जाना,

(12) श्री मधु भाऊ भगत , सदस्य की बालाघाट जिले के विकासखंड परसवाड़ा के ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अनियमितता किया जाना,

(13) डॉ.हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर विधान सभा के देवरा पंचायत स्थित शिव मंदिर का संरक्षण किया जाना,

(14) श्री बाला बच्चन, सदस्य की राजपुर के ग्राम पंचायत अवली के ग्राम गोलाटा एवं तक्यापुर में जल संकट होना,

(15) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य की अटेर जिला भिण्ड की ग्राम पंचायत निवारी एवं महेवा में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाना

(16) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को शासकीय मानदेय न दिया जाना

(17) श्री आरिफ मसूद, सदस्य की भोपाल और प्रदेश में गुमाश्ता कानून का समान रूप से पालन कराया जाना एवं

(18) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की मध्यप्रदेश में आवारा कुत्तों के काटने से जानमाल का नुकसान होना.

अपराह्न 5.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनाँक 14 फरवरी, 2024 (25 माघ, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 13 फरवरी, 2024

--